कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरणबीडा– भदोही

अल्प कालीन निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदा बीडा में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16.11.2018 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 17.11.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी ।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य + जी0एस0टी0	कार्य करने की अवधि
1	रजपुरा आवासीय योजना फेज–प्रथम में एम0आई0जी0 प्रथम 64–67, 01 से 03 एवं ई0डब्लू0एस0 25 से 34 के सामने सड़क एवं नाली मरम्मत का कार्य	584410.00	58441.00	1500.00 + 270.00 G.S.T	02 माह

शर्ते :–

1. जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
2. निविदा केवल वे ही व्यक्ति/ फर्म ले सकते हैं जिनका सन्दर्भित कार्य की लागत हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण हो।
3. स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
4. आवंटित कार्य हर हालत में निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
5. कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज/ उप खनिज हेतु भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य हेतु एम.एम. 11 जिला खनिज कार्यालय भदोही से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उसकी कटौती बिल से करते हुए धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी ।
6. धरोहर धनराशि प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा होना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नही होगी उसको संज्ञान में नही लिया जायेगा ।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क पर निर्धारित G.S.T अलग से शुल्क जमा करते समय देय होगा ।
8. प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।
9. प्रत्येक सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की उपस्थिति मे मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।

31.10.18
सहायक अभियन्ता

(C-1)D:\p4\Technical\Nivida Suchana.doc